

¹संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
(सं० आ० 22)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संपृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के ²[भाग 1 से लेकर भाग ³[22] तक में विनिर्दिष्ट है, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः संबद्ध हैं, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं ।

⁴[3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश हैं ।]

¹ विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 510, तारीख 6 सितंबर, 1950, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खंड 3, पृ० 597 पर प्रकाशित ।

² अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ अंक '18' 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) तत्पश्चात् 2000 के अधि० सं० 28 की धारा 20 और चौथी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 25 और छठी अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं० 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) लगातार प्रतिस्थापित होकर उपरोक्त रूप में आया ।

⁴ 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹अनुसूची

भाग 1--आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र ²[, साधू आन्ध्र]
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु ³[* * *]
5. गडवा ⁴[बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा]
6. गोंड, नायकगोंड, राजगोंड
2[कोइतूर]
7. गोडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. हिल रेड्डिड
9. जातपू
10. कम्मरा
11. कडुनायकन
12. कोलम, ⁴[कोलावार]
13. कोंड धोरा ²[कुबी]
14. कोंड कापु
15. कोंडारेड्डिड
16. कोंध, कोडि, कोध, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध,
कुटिटया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध ²[कुविंगा]
17. कोटिया, वेंथो ओरिया वारत्तिका, ³ * * *
डुलिया, होल्वा, ³ * * *, सन्रोण, सिधोपैको
18. कोया, ⁴[डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया], राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया
(साधारण) कोट्टू कोया, भिण कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों को छोड़कर)
21. मन्ना दोरा
22. मुम्बा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परघाण
25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डिड दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी ²[बंजारा]
30. तोटि, (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों में)
31. वाल्मिकी ⁴[विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्र]
32. येनादि ²[चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी]
33. येरुकुला ²[, कोरचा, डब्बा येरुकुला, कांचीपुरी येरुकुला, उप्पू येरुकुला]
²[34. नकाला, कुरविकरन,
35. धुलिया पैको, पुटिया (विशाखापटनम तथा विजयनगरम जिलों में)]

भाग 2--असम

⁵[I. कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों में :-]

1. चाक्मा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. ह्नार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तोंग, प्जार, वार, बोई लिंगनागम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियां :-
(i) बियाते, बियते
(ii) चांगसान
(iii) चंगलोई
(iv) दौंगेल
(v) गमल्हो
(vi) गांगटे
(vii) गुइते
(viii) हान्नेग
(ix) होकिप, होपित
- (x) होलाई
- (xi) हेंगना
- (xii) होंगसंध
- (xiii) हारंगरख्वाल, रांगखल
- (xiv) जोंगबे
- (xv) खोचुंग
- (xvi) ख्वागलांग, खोथालंग
- (xvii) खेल्मा
- (xviii) खोल्हू
- (xix) किपेन
- (xx) कुकी
- (xxi) लेथांग
- (xxii) ल्हांगुम
- (xxiii) ल्हूजेम
- (xxiv) लहाबुन
- (xxv) लुफेंग
- (xxvi) मांजेल

¹ 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

⁴ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 2003 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (xxvii) मिसाऊ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सैरहम
(xxx) सेलनाम
(xxxix) सिगसन
(xxxii) सतल्हो
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) याडो
(xxxv) थांगजू

- (xxxvi) उईबुह
(xxxvii) व्हाइफे
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. ¹[करबी]
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग ।
²[15. लालुंग] ।

³[II. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला सहित और कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों को छोड़कर, असम राज्य में :-]

1. कछार में बर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. ड्योरी
4. होजाई
5. किछारी, सोनबाल

6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
²[10. डीमासा
11. हाजोंग
12. सिघफो
13. खाम्पति
14. गारो]

भाग 3--बिहार

1. असुर ²[, अगरिया]
2. बेगा
3. बनजारा
4. बटुडी
5. बेदिया
4. * * *
⁵[6.] बिजिया
⁵[7.] बिरहोर
⁵[8.] विरजिया
⁵[9.] चेरो
⁵[10.] चिक बराइक
⁵[11.] गोंड
⁵[12.] गोराइत
⁵[13.] हो
⁵[14.] करमाली
⁵[15.] खरिया ²[ढेलकी खरिया, दुध खरिया, हिल खरिया]
⁵[16.] खरवार

- ⁵[17.] खोंड
⁵[18.] किसान
⁵[19.] कोरा ²[नागेसिया]
⁵[20.] कोरवा ²[मुडी-कोरा]
⁶[⁵[21.] लोहारा, लोहरा]
⁵[22.] माहली
⁵[23.] माल पहरिया
⁵[24.] मुन्डा ²[कुमारभाग पहारिया]
⁵[25.] उरांव ²[पातार]
⁵[26.] परहया ²[धांगड (ओरांव)]
⁵[26.] संथाल
⁵[27.] सोरिया पहाड़िया
⁵[28.] सावर
²[31. कवार
32. कोल
33. थारू]

¹ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 2003 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴ 2000 के अधिनियम सं० 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) मद सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

⁵ 2000 के अधिनियम सं० 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) मद सं० 7 से 30 को मद सं० 6 से 29 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया ।

⁶ 2006 के अधिनियम सं० 48 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 4--गुजरात

- | | |
|--|--|
| 1. वर्डा | 17. कुण्बी (डांगस जिले में) |
| 2. बावचा, बामचा | 18. नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नानानायक |
| 3. भरवाढ़ (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में) | 19. पाधर |
| 4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडबी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे । | ² * * * |
| 5. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में) | 21. पर्थी, अडविचिन्चेर, फांनसे पर्थी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर) |
| 6. चौधरी (सूरत और वलसाड़ जिलों में) | 22. पटेलिया |
| 7. चौधरा | 23. पोमला |
| 8. धनक, तडबी, तेतारिया, वलवी | 24. रबारी (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में) |
| 9. धोडिया ¹ [ढोडी] | 25. राथवा |
| 10. दुबला, तलाविया, हलपति | 26. सिद्दी ¹ [, सिद्दी बादशान] (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में) |
| 11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी | ² * * * |
| 12. गोंड, राजगोंड | 28. वारली |
| 13. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोड़ी, ढोर कटकारी, सोन कथोड़ी, सोन कटकारी | 29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया । |
| 14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा | ³ [30. भील, भिलाला, बरेला पटेलिया |
| ² * * * | 31. तदवी भील, बावरा, वसावे |
| 16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा | 32. पडवि] । |

भाग 5--हिमाचल प्रदेश

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. भोट, बोढ़ | 6. लाहौला |
| 2. गद्दी ² * * * | 7. पंगवाला |
| 3. गुज्जर ² * * * | 8. स्वांगला । |
| 4. जाद, लाम्बा, खम्पा | ¹ [9. बेटा, बेडा |
| 5. कनौरा, किन्नारा | 10. डोम्बा, गारा, जोबा ।] |

¹ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

³ 2002 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 6--कर्नाटक

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्वा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. चेचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गावित, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोंड, राजगोंड
10. गोडलू
11. हक्कीपिक्की
12. हासालारू
13. इरुलर
14. इरुलिगा
15. जेनु कुरुबा
16. काडू कुरुबा
17. कम्मर (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्थान (मैसूर जिले कोल्लेगाल तालुक में)
19. काथोडी काटकारी, डोर कथोडी, डोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काट्टूनायकन
21. कोकण, कोकणी, कुक्कणा
22. कोली डोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्चा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरुब (कुर्ग जिले में)
29. कुरुमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुडी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिण कनारा जिले में)
37. मेडा ¹[मेडारी, गोरिगा, बुरुद]
38. नायकडा, नायक, चौलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक ²[नाईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि]
39. पल्लियान
40. पानियान
41. पार्धी, अडविचिचेर, फनसे पार्धी ¹[, हरानशिकारी]
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगारू
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, वारोडिया
49. यरावा ।
- ¹[50. सिद्दी (उत्तर कन्नड़ जिले में) ।]

¹ 2003 के अधिनियम सं 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1991 के अधिनियम सं 39 की धारा 2 द्वारा (19-4-1991 से) अंतःस्थापित ।

भाग 7--केरल

1. आडियन
2. अरांडन ¹[, अरांन]
3. अरावालन्
4. हिल पुलया ¹[माला पुलयान, कुरुम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान]
5. इरुलर, इरुलन
6. कादर ¹[वयानाद कादर]
² * * *
8. कणिककारण् काणिककर
9. काटटुनायकन्
10. ³ [कोचुवेलान]
² * * *
13. कोरग
² * * *
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्चियन ¹[कुरिचियान]
17. कुरुमन ¹[मुल्लु कुरुमुन, मुल्ला कुरुमन, माला कुरुमन]
18. कुरुम्बा ¹[कुरुम्बर, कुरुम्बन]
19. महामालासार
20. मलैअरयन ¹[, माला अरयन]
21. मलय पडारम्
22. मलवेडन ¹[, माला वेडन]
23. मलकुर्बन
24. मालासार
- ³[25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोजीकोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर)]
26. मलयय्यर
27. मनान ¹[(कोष्ठक में मलयालम लिपि में लिखा जाए)]
² * * *
29. मुतुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. ³[पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान]
33. पाणियन्
34. उल्लाडन ¹[, उल्लातान]
35. उरालि
- ¹[36. माला वेटुवन (कासरगौडे और कन्नूर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन
38. थाचानाडन, थाचानाडन मूपन
39. चोलानाडकन
40. माविलन
41. करीमपालन
42. वेट्टा कुरुमन
43. माला पनिकर]]

¹ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 7, 8, 11, 12, 14 और 28 का लोप किया गया ।

³ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹[भाग 8--मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिआ, भूर्इहार, भूमियां, भूमिआ, भारियाड पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील, मीना
9. भनजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बिसोनहार्न मारिया, छोट मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल, मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोट्या, वाडेमारिया, वडेमारिया, डरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
2. * * *
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
- 2* * *
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवां, सतना, शाहडोस सीधी और टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
- 2* * *
40. पारधी; बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस, पारधी, शिकारी, टकनकर टाकिया [(1) बस्तर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी और सरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बेरह तहसील में, (3) बैतूल जिले के बैतूल और भैंसदेही तहसीलों में, (4) बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और बलोड तहसीलों में, (6) राजनन्द गांव जिले के चौकी मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में, (7) जबलपुर जिले के मुरवारा, पाटन और सिहोर तहसीलों में, (8) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (9) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में, (10) रायपुर जिले की बिंद्रा नवगढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में]
41. परजा
42. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साओंता, सौंता
44. सौर
45. सवर, सवरा
46. सौर]

¹ 2000 के अधिनियम सं० 28 की धारा 20 और चौथी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) भाग 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 21, 32 और 39 का लोप किया गया ।

भाग 9--महाराष्ट्र

1. अन्ध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ भूमिआ भुईहार, भूमिआ, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरसिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भुंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
1* * *
12. धाणका, तडवी, तेतारिया वलवी
13. धनवार
14. घोडिया
15. दुबला, तलानिया, हलपति
16. गामित, गामता, गावित, मावचि, पडवि
17. ²[गोंड, राजगोंड] अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, विसहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामि मारिया, धुरू, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, औझा, राज, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-मारिया, वडेमारिया
18. हलवा, हलवी
19. कमार
20. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकारी
21. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनरवर, छत्री
22. खरवार
23. खडिया
24. कोकणा, कोकणी, कुकणा
25. कोल
26. कोलाम, मन्नेवरलु
27. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
28. कोली महादेव, डोंगर कोली
29. कोली मल्हार
30. कौंध, खौंड, कांध
31. कोरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोडेया
32. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
33. नगोसिया, नागसिया
34. नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
35. औरांव, धनगड
36. परधान, पथारी, सरौती
37. पारधी, अडविचंचेर, फंस पारधी, फंसे पारधी लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्तापारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया
38. परजा
39. पटेरलिया
40. पामेला
41. राथवा
42. सावर, सावरा
43. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार
44. 1* * *
45. वारली
46. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया।
- 47.

¹ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 12 और 45 का लोप किया गया ।

² 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 10--मणिपुर

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. आयमोल | 17. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां |
| 2. एनाल | 18. मोन्सैग |
| 3. अंगामी | 19. मायोन |
| 4. चिरू | 20. पाइटे |
| 5. चौथे | 21. पुरुम |
| 6. गगते | 22. राल्टे |
| 7. हमार | 23. सेमा |
| 8. काबुई | 24. सिम्टे |
| 9. कच्चा नागा | 25. सूहटे |
| 10. कोईराओ | 26. तेंगखुल |
| 11. कोयरेंग | 27. थाडो |
| 12. कोम | ¹ [28. व्हाइफै] |
| 13. लैमगैम | 29. जाओ |
| 14. माओ | ² [30. पउमेइ नागा |
| 15. मराम | 31. तराओ |
| 16. मैरिंग | 32. खरम |
| | 33. कोई कुकी जनजाति] |

भाग 11--मेघालय

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. चाकमा | (xx) कूकी |
| 2. डिमासा, कछारी | (xxi) लेथांग |
| 3. गारो | (xxii) लांगम |
| 4. हाजंग | (xxiii) ल्हाजम |
| 5. हमार | (xxiv) ल्हूबून |
| 6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्जार, वार, भोई, लिंगाम | (xxv) लुफेंग |
| 7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-- | (xxvi) मांजले |
| (i) बियान, बियेन | (xxvii) मिसारु |
| (ii) चंगसान | (xxviii) रियांग |
| (iii) चंगलोई | (xxix) सैरहेम |
| (iv) दौंगाल | (xxx) सैलनाम |
| (v) गमल्हो | (xxxi) सिंगूसन |
| (vi) गंगते | (xxxii) सितल्हो |
| (vii) गुइते | (xxxiii) सुक्ते |
| (viii) हैन्ग | (xxxiv) थारो |
| (ix) होकिप, हैपित | (xxxv) थांग्च्यू |
| (x) हौलाई | (xxxvi) उइबू |
| (xi) हैगना | (xxvii) व्हाइफे |
| (xii) होंगसुंग | 8. लाखेर |
| (xiii) होंगखोवाल, रंगखोल | 9. मान (ताई बोलने वाली) |
| (xiv) जंग्वे | 10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां |
| (xv) ख्वोचंग | 11. मिकिर |
| (xvi) ख्वोत्लंग, खातालग | 12. कोई नागा जनजातियां |
| (xvii) खेल्मा | 13. पावी |
| (xviii) खोल्हु | 14. सिंतेंग |
| (xix) किपगेन | ³ [15. बोरी कचरिस |
| | 16. कोच |
| | 17. राबा, रावा] । |

¹ 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 1987 के अधिनियम सं0 43 की धारा 2 द्वारा (19-9-1987 से) अन्तःस्थापित ।

भाग 12--उड़ीसा

1. बागता ¹[भक्त]
2. बड़गा
3. बनजारा, वणजारी
4. बथुड़ी ¹[बथूरी]
5. भौत्तड़ा, धोत्तड़ा ¹[भोतरा, भातरा, भट्टारा, भोटोरा, भतरा]
6. भुइयां, भूयां
7. भूजिआ
8. भमिज ¹[तेली भमिज, हलादी पोखरिया भमिज, हलादी पोखरिया भूमिया, देसी भमिज, देसिया भमिज, तमारिया भमिज]
9. भूजिया
10. बिझाल ¹[, बिझवार]
11. बिझिआ, बिझोआ
12. बीरहोर
13. बोंडुपरजा ¹[, बोंडुपरजा, बांडा परजा]
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ ¹[, धुरूबा, धुवी]
18. दिदयी ¹[, दीदाई परजा, दीदाई]
19. गादबा ¹[बोदो गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा]
20. गांडिया
21. घरा
22. गोंड, गोंडो ¹[राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंड]
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंधगोड
28. कावार ¹[, कनवार]
29. खरिआ, खरिआन ¹[, बेरगा खरिआ, ढेलकी खरिआ, दुध खरिया, एरेंगा खरिआ, मुंडा खरिआ, ओरांव खरिआ, खडिआ, पहाड़ी खरिआ]
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, सिता कन्धा ¹[, कोंध, कुई, बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड]
32. किसान ¹[, नागेसर, नागेसिया]
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा ¹[, खेरा, खयारा]
39. कोरूआ
40. कुटिया
41. कोया ¹[, गुंबा कोया, कोयटुर, कोया, कमर कोया, मुसारा कोया]
42. कुली
43. लोधा ¹[, नोध, नोधा, लोध]
44. मादिआ
45. महालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ ¹[, मांकरिया, मांनकिडी]
48. माटिया ¹[, मटिया]
49. ¹[मिर्घा, कुडा, कोडा]
50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली ¹[, नागवंशी मुंडा, उडिया मुंडा]
51. मुंडारी
52. औमनात्या ¹[, ओमानात्यो, अमानात्य]
53. उराओ ¹[, धांगर, उरान]
54. पेरेंगा
55. परोजा, ¹[परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, परोजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा]
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा ¹[आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंनिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उडिया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा]
60. शबर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ ¹[, धारूआ बिंधानी] ।

¹ 2003 के अधिनियम सं 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

भाग 13--राजस्थान

- | | |
|---|---|
| 1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे | 7. कोकना, कोकनी, कुकणा |
| 2. भील मीना | 8. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा |
| 3. डामोर, डामरिया | 9. मीना |
| 4. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी | 10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक |
| 5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न) | 11. पटलिया |
| 6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी | 12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया। |

भाग 14--तमिलनाडु

- | | |
|--|--|
| 1. अडियन | 19. महा मल्लेसर |
| 2. अरनाडन | 20. मल्लै अरैयन |
| 3. एरवल्लन | 21. मालै पंडाराम |
| 4. इरुलर | 22. मालै वेडन |
| 5. काडर | 23. मलक्कुरवन |
| 6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर) | 24. मल्लेसर |
| 7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा ¹ [और अम्बासमुद्रम तालुकों] में) | 25. मल्याली (धर्मपुरी उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में) |
| 8. कनियन, कन्यन | 26. मलयेकंडी |
| 9. काट्टुनायक्कन | 27. मान्नन |
| 10. कोचुवेलन | 28. मुडुगर, मुडुवन |
| 11. कोन्डा कपूस | 29. मुदुवन |
| 12. कोन्डारेडिड | 30. पल्लेयन |
| 13. कोरागा | 31. पल्लियन |
| 14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर) | 32. पल्लयर |
| 15. कुडिया, मेला कुडी | 33. पनियन |
| 16. कुरिच्छन | 34. शोलागा |
| 17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में) | 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर) |
| 18. कुरुमान्स | 36. उरली । |

भाग 15--त्रिपुरा

- | | |
|--|--|
| 1. भील | 7. जमातिया |
| 2. भुटिया | 8. खसिया |
| 3. चैमल | 9. कुकी, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं :-- |
| 4. चकमा | (i) बांल्ले |
| 5. गारो | (ii) बेललहत |
| 6. हलाम ² [बेंगशेल, डुब, केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रूपिनी, सुकुचेप, थांगचेप] | (iii) छाल्य |

¹ 2003 के अधिनियम सं 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| (iv) फुन | (xvi) रंखल |
| (v) हजांगो | (xvii) थंग्लुया |
| (vi) जंगते | 10. लेप्चा |
| (vii) खरेंग | 11. लसाई |
| (viii) केफंग | 12. मग |
| (ix) कुन्तेई | 13. मुन्डा, कौर |
| (x) लाइफंग | 14. नोआतिया ¹ [,मुरासिंग] |
| (xi) लेनतेई | 15. ओरांग |
| (xii) मिजेल | 16. रियांग |
| (xiii) नमते | 17. सन्थाल |
| (xiv) पाईतु, पाइते | 18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा |
| (xv) रंगचान | 19. उचई । |

भाग 16--पश्चिमी बंगाल

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. असुर | 20. कोड़ा |
| 2. बैगा | 21. कोरवा |
| 3. बेदिया, बिदिआ | 22. लेप्चा |
| 4. भूमिज | 23. लोधा, खेड़िया, खाड़िया |
| 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती, योलमो | 24. लौहारा, लौहरा |
| 6. बिरहोड़ | 25. मघ |
| 7. बिरजिया | 26. माहली |
| 8. चाकमा | 27. महली |
| 9. चेरी | 28. माल पहाड़िया |
| 10. चिक बारैक | 29. मेच |
| 11. गारो | 30. म्रू |
| 12. गोंड | 31. मुंडा |
| 13. गोड़त | 32. नागेसिया |
| 14. हाजंग | 33. ओरांव |
| 15. हो | 34. पाढैया |
| 16. करमाली | 35. राभा |
| 17. खाड़वार | 36. संथाल |
| 18. खौंड | 37. सौरिया पहाड़िया |
| 19. किसान | 38. सावर |
| | ¹ [39. लिम्बु (सुब्बा) |
| | 40. तमंग] । |

²[भाग 17--मिजोरम

- | | |
|--|--|
| 1. चाक्कमा | 7. कोई कुकी जनजातियां, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :- |
| 2. डिमासा (कछारी) | (i) बियाते या बियते |
| 3. गारो | (ii) चंगसान |
| 4. हाजंग | (iii) चंगलोई |
| 5. हमार | (iv) दोंगेल |
| 6. खासी और जैन्तिया (जिनके अन्तर्गत खासी ; सिन्तेंग या प्जार, वार, भोई या लिंगाम हैं) | (v) गमल्हो |

¹ 2003 के अधिनियम सं 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

² 1986 के अधिनियम सं 34 की धारा 14 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

(vi) गंगते	(xxvi) मांजेल
(vii) गुइते	(xxvii) मिसारु
(viii) हैन्नंग	(xxviii) रियांग
(ix) हौकिप या हपित	(xxix) सैरहेम
(x) हौलाई	(xxx) सैल्नाम
(xi) हेंगना	(xxxi) सिंगसन
(xii) होनसुंघ	(xxxii) सितलहौ
(xiii) ह्नाग्खोबाल या रन्खोल	(xxxiii) सुक्ते
(xiv) जंग्बे	(xxxiv) थादो
(xv) ख्वौचंग	(xxxv) थांग्ल्यू
(xvi) ख्वौत्लंग या खोतालंग	(xxxvi) उइबू
(xvii) खेलमा	(xxxvii) व्हाइफे
(xviii) खोलुहु	8. लाखरे
(xix) किपगेन	9. मान (ताई बोलने वाली)
(xx) कूकी	10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां
(xxi) लेंथांग	11. मिकिर
(xxii) ल्हांगम	12. कोई नागा जनजातियां
(xxiii) ल्हाजम	13. पावी
(xxiv) ल्होबुन	14. सितेंग]
(xxv) लुफेंग	¹ [15. पाइते] ।

²[भाग 18--अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सब जनजातियां :-

1. अबोर	9. मोम्बा
2. आकन	10. कोई नागा जनजातियां
3. अप्तनी	11. शेरडूक्पेन
³ [4. निशि]	12. सिंगफो]
5. गालंग	¹ [13. हुरुसो
6. खाम्पती	14. टेगिन
7. खोवा	15. खाम्बा
8. मिशमी ¹ [,इदू, तारोआन]	16. आदि] ।

⁴[भाग 19--गोवा

1. ढोडिया	5. बरली]
2. दुबला (हलपति)	¹ [6. कुन्बी,
3. नायकडा (तलविया)	7. गावड़ा
4. सिद्दी (नायका)	8. वेलिप] ।

¹ 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

² 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 17 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

³ 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

⁴ 2008 के अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹[भाग 20--छत्तीसगढ़

- | | |
|--|--|
| 1. अगरिया | 22. खरिया |
| 2. आंध | 23. कोंध, खोंड, कांध |
| 3. बैगा | 24. कोल |
| 4. भैना | 25. कोलम |
| 5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो | 26. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बोधी, बोडिया |
| 6. भत्तरा | 27. कोरवा, कोडाकू |
| 7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया | 28. मांझी |
| 8. भील मीना | 29. मझवार |
| 9. भुंजिया | 30. मवासी |
| 10. बियार, बीआर | 31. मुंडा |
| 11. बिंझवार | 32. नगेसिया, नागासिया |
| 12. बिरहुल, बिरहोर | 33. उरांव, धानका, धनगढ़ |
| 13. डामोर, डामरिया | 34. पाव |
| 14. धनवार | 35. परधान, पथारी, सरोती |
| 15. गडाबा, गडबा | 36. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस पारधी, शिकारी, टानककार, टाकिया [(i) बस्तर, दंतेवाला, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले में (ii) कोरबा जिले की कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसीलों में (iii) बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेंडरा, कोटा और तखतपुर तहसीलों में (iv) दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसीलों में (v) राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किलों में (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसीलों में (vii) रायपुर जिले की बिंद्रानवागढ़ राजिम और देवभोग तहसीलों में और (viii) धमतरी जिले के धमतरी, कुरुद और सिहावा तहसीलों में |
| 16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार मोध्या, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई | 37. परजा |
| 17. हलबा, हलबी | 38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहेरिया, सोसिया, सोर |
| 18. कमार | 39. साओता, साँता |
| 19. कारकू | 40. सौर |
| 20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री | 41. सवर, सवरा |
| 21. खैरवार, कोंदर | 42. सौर] |

¹[भाग 21 -- ²[उत्तराखंड]

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. भोटिया | 4. राजी |
| 2. बुक्सा | 5. थारू । |
| 3. जन्नासरी | |

³[भाग 22 -- झारखंड

- | | |
|--|--|
| 1. असुर ⁴ [, अगरिया] | 17. खोंड |
| 2. बेगा | 18. किसान ³ [, नागेसिया] |
| 3. बनजारा | 19. कोरा ³ [, मुडी-कोरा] |
| 4. बटुडी | 20. कोरवा |
| 5. बेदिया | 21. लोहरा |
| 6. बिंझिया | 22. माहली |
| 7. बिरहोर | 23. माल पहारिया ³ [, कुमारभाग पहारिया] |
| 8. बिरजिया | 24. मुण्डा ³ [, पतार] |
| 9. जेरो | 25. उरांव ³ [, ढांगर (ओरांव)] |
| 10. चिक बराइक | 26. परहेया |
| 11. गोंड | 27. संथाल |
| 12. गोराइत | 28. सौरिया पहाड़िया |
| 13. हो | 29. सावर |
| 14. करमाली | 30. भूमिज ।] |
| 15. खारिया ³ [, ढेलकी खारिया, दूध खारिया, हिल
खारिया] | ³ [31. कवार |
| 16. खारवार | 32. कोल]] |

¹ 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 25 और छठी अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 द्वारा (1-1-2007 से) “उत्तरांचल” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 2000 के अधिनियम सं० 30 की धारा 24 और छठी अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

⁴ 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।